आनन्द / प्यारेलाल

30-1-19

उभय पक्ष के अधि० उप० / तहसील से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार रिपोर्ट में दिनांक 13-2-19 को पेश हो।

13-2-19

उभय पक्ष के अधि० उप० / आज बार हेतु कार्य स्थगन है। इन्तजार रिपोर्ट में दिनांक 27-2-19 को पेश हो।

22-2-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब स्था० हो गया है। अन्य कार्य में [illegible] के [illegible] हैं। उभयपक्ष के [illegible] आदेश दिनांक 13-3-19 को पेश हो।

रीडर

13-3-19

उभय पक्ष के अधि० उप० / तहसील से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। R.A. हेतु स्मरण पत्र जारी कर रिपोर्ट तलब करें। दिनांक 3-4-19 को पेश हो।

229
25-3-19

3-4-19

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधि० उप०। वकील वादी ने अपनी आपत्ति को किया व निवेदन किया कि दोनों पक्ष पूर्व प्राप्त हुई कायमी रिपोर्ट से सहमत हैं। सहमति के आधार पर [illegible]। अतः वाद वादी का डिग्री किया जाता है। निर्णय पृथक से पारित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

प्यारेलाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़—बास जिला अलवर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :— श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस. किशनगढ़बास

क्रमा न. 82 प्रवेश तिथि 4.5.12 निर्णय दिनांक 3.4.19

उनवान

मामचन्द पुत्र सुखराम कोम चमार
रेशमा देवी पत्नी मामचन्द कोम चमार निवासी ग्राम मोटुका हाल निवासी ग्राम धमूकड तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर ।

:— वादीगण :—

बनाम

प्यारेलाल पुत्र सुमरा राम कोम चमार निवासी धमूकड तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर।
शाखा प्रबन्ध राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा किशनगढ़बास।
राज. सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़बास।

—प्रतिवादीगण:—

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति — 1. श्री जनार्दन शर्मा वकील वादी की ओर से।
2.श्री जगनसिंह एड. प्रतिवादी की ओर से।

पर्चा डिक्री

द वादीगण बाबत तकासमा आराजी मुताबिक कुर्रे कायमी के डिक्री किया जाकर आदेश दिये कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगी।

नाम खातेदार का नाम	ख0 न0	वाके ग्राम धमूकड रकबा	लगान
रेलाल पुत्र सुमरा राम चमार सा0 देह तेदारी राहिन आरजीबी किशनगढ़बास	839/2 846/2 847/2	0.0550 0.2600 0.3250	0=35 1=65 2=0.5
योग	3	0.6400	4=05
मूचन्द पुत्र सुखराम कोम चमार सा0 टुका खातेदार	839/1 846/1 847/1	0.0550 0.4100 0.3250	0=35 2=59 2=06
	3	0.7900	5=00
मा पत्नि मामचन्द कोम चमार सा0 टुका खातेदार	846/3	0.1500	0=94
लाल पुत्र सुमराराम सा0देह 1/2 आजीवी कि0बास मामचन्द पुत्र ाम कोम चमार सा0देह मोटुका 1/2 दार	845 गै0 मु0चाह	0.0300	—

ही खाता वो लगान पृथक—पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पना वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास(अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :-

श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.

दावा संख्या
82

प्रवेश तिथि
4-5-12

निर्णय तिथि
3-4-19

उनवान

1- मामचन्द पुत्र सुखराम कोम चमार

2- रेशमा देवी पत्नी मामचन्द कोम चमार निवासी ग्राम मोठूका हाल निवासी ग्राम धमूकड़ा तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर

:- वादीगण

बनाम

1- प्यारेलाल पुत्र सुमरा राम कोम चमार निवासी धमेकड़ा तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर

2- शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा किशनगढ़-बास

3- राज. सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़-बास

:-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति:- 1- श्री जनार्दन शर्मा एड. वादी की ओर से।

2- श्री जगनसिंह एड. प्रतिवादी की ओर से।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:- वादी ने तकासमा का वाद पेश कर निवेदन किया कि आ.ख.नं. 839/0.11 841/0.08, 842/0.22, 845/0.03, 846/0.82, 847/0.65 किता 6 रकबा 1.91 वाके ग्राम धमूकड़ा का पूर्व खातेदार छेदाराम पुत्र सिलूराम चमार साकिन कारोली तहसील अलवर था जिसका आराजी विवादित में 1/2 हिस्सा था जिसने उक्त आराजी के अपने 1/2 हिस्से का बेयान फूलसिंह पुत्र चिरंजीलाल गूवारिया साकिन कतोपुर तहसील कोटकासिम को कर दिया था फूलसिंह ने अपना 1/2 हिस्से का बेयान वादी मामचन्द को कर दिया है जिसका अमल जमाबन्दी में हो रहा है मौके पर अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है।

विवादित आराजी की बाबत पूर्व में महताबी पुत्र देवा चमार साकिन बाई तहसील तिजारा के 1/2 हिस्से का खातेदार अंकन था किन्तु महताबी की फौतिदगी के बाद आराजी के 1/2 भाग की विरासत सुमरी पुत्री महताबी के नाम दर्ज हो गई सुमरी ने अपने 1/2 हिस्से का बेयान प्रतिवादी प्यारेलाल

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

--2--

को कर दिया था, जिसके नाम का अंकन रिकार्ड में हो रहा है। आ.ख.नं. 841/0.08, 842/0.22 के 1/2 भाग व ख.नं. 846/0.82 में से 1/2 हिस्से में से 15/82 भाग की काबिज काश्तकार खातेदार वादीया रेशमा देवी है। अतः मौके पर कुर्रे कायम किये जाकर आराजी विवादित का तकासमा कराया जावे।

प्रति.नं. 1 ने वाद को अस्वीकार करते हुये जवाब पेश किया कि आराजी मौके पर बंटी हुई है अपने हिस्से से अलग से काबिज है तथा अपने नाम अलग से विद्युत कनेक्शन लिया हुवा है। मौका की कब्जा काश्त के मुताबिक ही विभाजन की डिक्री पारित की जावे तो प्रति.को आपत्ति नहीं है।

जबाब प्रस्तुत होने पर उक्त वाद दिनांक 9-9-15 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़-बास से मौके पर कुर्रे कायम कराये जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2016/264 दिनांक 4-2-16 से कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाई जिस कुर्रे कायमी पर वादी की ओर से आपत्ति पेश की गई तो तहसीलदार से पुनः कुर्रे कायम कर रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार किशनगढ़-बास ने पुनः अपने पत्र क्र:भू.अ./17/804 दिनांक 25-4-17 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिस पर भी वादी ने आपत्ति पेश की। वादी की ओर से उक्त आपत्ति पर मौके की स्पष्ट रिपोर्ट तलब की गई। पत्रावली इन्तजार मौका रिपोर्ट में रहते हुये आज वकील वादी वो वकील प्रति.ने सहमति दी कि जो कुर्रे कायमी रिपोर्ट 25-4-17 को प्राप्त हुई है उसके अनुसार फाईनल डिक्री करदी जावे हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए पक्षकारान के अभिभाषक की सहमति से मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के वाद निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

अतः आदेश है कि:-

वाद वादीगण बाबत तकासमा आराजी मुताबिक कुर्रे कायमी के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगी।

क्र. नाम खातेदार	ख.नं.	वाके हैक्टेयर रकबा	लगान
1- प्यारेलाल पुत्र समरा राम चमार सा. देह खातेदार राहिन आरजीबी किशनगढ़-बास	839/2	0.0550	0=35
	846/2	0.2600	1=65
	847/2	0.3250	2=05
	3	0.6400	4=05
2- रामचन्द्र पुत्र सुखराम कौम चमार सा. मोठूका खातेदार	839/1	0.0550	0=35
	846/1	0.4100	2=59
	847/1	0.3250	2=06
	3	0.7900	5=00

...कलेक्टर
...-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

3- रेशमा पत्नि मामचन्द कौम चमार 046/3 0.1566 1494
सा. मोठूका खातेदार

4- प्यारेलाल पुत्र सुमेरराम सा. देह 1/2
साहिन आजीबी कि. बारह मामचन्द 045 0.0300 —
पुत्र सुखराम कौम चमार सा. देह मोठूका गै. मु. राह
1/2 खातेदार

उक्तानुसार ही खाता मे लगान पृथक-पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 3-4-19 को टंकित कराया जाकर खुले न्याय न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner